रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19072022-237354
CG-DL-E-19072022-237354

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 511]	नई दिल्ली, मगंलवार, जुलाई 19, 2022/आषाढ़ 28, 1944
No. 511]	NEW DELHI, TUESDAY, JULY 19, 2022/ASHADHA 28, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2022

सा.का.नि 581(अ): —राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में निरीक्षण महानिदेशालय (सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) और उसके काडर इकाई समूह ''ग'' और समूह ''घ'' पद भर्ती नियम, 2004; वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग के संभार तंत्र निदेशालय में समूह ''ग'' और ''घ'' पद भर्ती नियम, 2004, राजस्व आसूचना निदेशालय और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग समूह 'ग' और समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2004, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) आंकड़ा प्रबंध निदेशालय, समूह 'ग' और समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2004 को, जहां तक उनका संबंध कर सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन निदेशालयों में कर सहायक के पद पर भर्ती के पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्लिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ: - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, निदेशालय, कर सहायक, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2022 हैं।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विशेष उपबंध: -

(1) निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली निम्नलिखित निदेशालयों के उक्त पदों के लिए काडर नियंत्रक प्राधिकारी होगा, अर्थात :-

(i) निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय;

(ii) राजस्व आसूचना महानिदेशालय;

(iii) माल और सेवा कर आसूचना महानिदेशालय;

(iv) संभार तंत्र निदेशालय;

(v) कर दाता सेवा महानिदेशालय;

(vi) तंत्र आर आंकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय;

(vii) केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला;

(viii) सतर्कता महानिदेशालय;

(ix) मुनाफाखोरी विरोधी महानिदेशालय;

(x) निर्यात संवर्धन महानिदेशालय;

(xi) लेखा परीक्षा महानिदेशालय;

(xii) विधी कार्य विभाग महानिदेशालय;

(xiii) मानव संसाधन विकास महानिदेशालय;

(xiv) मुख्य आयुक्त (ए आर), सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण;

(xv) विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय;

(xvi) मूल्यांकन महानिदेशालय;

(xvii) अन्तरराष्ट्रीय सीमा शुल्क निदेशालय;

(xviii) माल और सेवा कर महानिदेशालय;

(2) उपनियम (1) मे निर्दिष्ट निदेशालयों के सभी विलीन किए गए पदों की परस्पर ज्येष्ठता को भारत सरकार द्वारा इस संबंध मे समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या मार्गदर्शन के अनुसार एकीकृत किया जाएगा ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि :- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता - वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति जिसका पति अथवा जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की हैं; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति: - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृति: - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम ।	**पद की संख्या ।**	**वर्गीकरण ।**	**वेतन मैट्रिक में स्तर ।**	**चयन पद अथवा अचयन पद ।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
कर सहायक	451* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक में स्तर - 4 (रू. 25,500 - 81,100)	सीधी भर्ती के लिए लागू नही होता और प्रन्नति के लिए अचयन ।	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण:-** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णयक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए ।	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक या समतुल्य; (ii) आंकड़ा प्रविष्ठि कार्य के लिए प्रति घंटे 8000 कुंजी दाब की गति से कम नहीं होना चाहिए; **टिप्पण :** आंकड़ा प्रविटि कार्य के लिए प्रति घंटे 8000 कुंजी दाब की गति इलेक्ट्रानिक आंकड़ा प्रसंस्करण मशीन पर गति परीक्षण संचालन करके आंका जाना है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।**	**भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी :या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्तिआमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी / जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
8	**9**	**10**
लागू नहीं होता ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	(i) पचहत्तर प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा; और (ii) पच्चीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ अमेलन किया जाएगा ।
11

प्रोन्नति:

ऐसे अवर श्रेणी लिपिक में से जिन्होंने उस श्रेणी में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19,900 - 63,200/-रूपए) और हैड हवलदार जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 2 (19,900 - 63,200/- रूपए) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो जिसके न हो सकने पर :-

(क) अवर श्रेणी लिपिक और बहुकार्य कर्मचारी वृन्द की श्रेणी में संयुक्त रूप से ग्यारह वर्ष की सेवा किया हो; और

(ख) हैड हवलदार, हवलदार और बहुकार्य कर्मचारी वृन्द की श्रेणी में संयुक्त रूप से ग्यारह वर्ष की सेवा किया हो; और

(ग) अवर श्रेणी लिपिक, हवलदार और बहुकार्य कर्मचारी वृन्द की श्रेणी में संयुक्त रूप से ग्यारह वर्ष की सेवा किया हो, और

निम्मलिखित अहर्ता और अनुभव रखता हो, अर्थात:

आंकड़ा प्रविटि कार्य के लिए प्रति घंटे कुंजी दाब की गति 8000और तीन सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद होने वाली विभागीय अर्हक परीक्षा में उत्तीर्ण।

टिप्पण :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
12	**13**
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (i) ज्येष्ठतम अपर निदेशक, मुख्यालय कार्यालय - अध्यक्ष; (ii) अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक, मुख्यालय - सदस्य; (iii) उप निदेशक या सहायक निदेशक, आयकर - सदस्य समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (i) ज्येष्ठतम अपर निदेशक, मुख्यालय कार्यालय - अध्यक्ष; (ii) अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक, मुख्यालय - सदस्य; (iii) उप निदेशक या सहायक निदेशक, आयकर - सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए-12018/02/2019-प्रशा- III ख]

राजन कुमार झा, उप सचिव,

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2022

G.S.R. **581(E).—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of the Inspection (Customs and Central Excise) and its Cadre Units in the Ministry of Finance, Department of Revenue, Group 'C' and Group 'D' posts Recruitment Rules, 2004; Directorate of Data Management, Ministry of Finance (Departmentof Revenue), Group 'C' and Group 'D' posts Recruitment Rules, 2004; Directorate of Logistics, Ministry of Finance, Department of Revenue, Group 'C' and Group 'D' posts Recruitment Rules, 2004; Directorate of Revenue Intelligence and the Directorate of Central Excise Intelligence, Ministry of Finance, Department of Revenue, Group 'C' and Group 'D' Posts Recruitment Rules, 2004, in so far as they relate to the post of Tax Assistant, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Tax Assistant in the Directorates of the Central Board of Indirect Taxes and Customs, Ministry of Finance, Department of Revenue, namely:-

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes and Customs, Directorates, Tax Assistant, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Special Provision. -** (1) The Directorate General of Performance Management, Central Board of Indirect Taxes and Customs, New Delhi shall be the Cadre Controlling Authority for the said posts of the following Directorates, namely:-

(i) Directorate General of Performance Management;
(ii) Directorate General of Revenue Intelligence;
(iii) Directorate General of Goods and Service Tax Intelligence;
(iv) Directorate of Logistics;
(v) Directorate General of Tax Payer Services;
(vi) Directorate General of Systems and Data Management;
(vii) Central Revenue Control Laboratory;
(viii) Directorate General of Vigilance;
(ix) Directorate General of Anti-Profiteering;
(x) Directorate General of Export Promotion;
(xi) Directorate General of Audit;
(xii) Directorate of Legal Affairs;
(xiii) Directorate General Human Resource Development;
(xiv) Chief Commissioner (AR), Customs, Central Excise and ServiceTax Appellate Tribunal (CESTAT);
(xv) Directorate General of Analytics and Risk Management;
(xvi) Directorate General of Valuation;
(xvii) Directorate of International Customs; and
(xviii) Directorate General of Goods and Service Tax.

(2) Inter-se-seniority of all merged posts from the Directorates referred to in sub-rule (1) shall be integrated as per the instructions or guidelines issued by the Central Government of India from time to time in this regard.

3. **Number of post, classification, level in pay matrix.—** The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.— No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having aspouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage withany person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number ofpost.**	**Classification.**	**Level in the Pay Matrix.**	**Whether SelectionPost or non-selection Post.**	**Age-Iimit for direct recruits.**	**Educational and other Qualificationsrequired for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**7**
Tax Assistant.	451* (2022) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'C', non- Gazetted, Ministerial.	Level – 4in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100).	Not applicablefor Direct Recruits and non-selection for Promotees.	Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidates upto forty years in accordance with theinstructions or orders issued by the Central Government from time totime). Note: The crucial date fordetermining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Essential: (i) Bachelor's Degree from a recognisedUniversity or equivalent; (ii) possess a speed of not less than 8000 key depressions per hour for data entry work. **Note:** The speed of 8000 key depressions per hour for data entry work shall be examined by conducting a speed test on the electronic data processing machine.

Whether age andeducational qualifications prescribed for direct recruits will apply in caseof promotees.	**Period of probation if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorptionand percentage of vacancies to be filled byvarious methods.**	**In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, gradesfrom which promotion or deputation or absorption to be made.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**
No	Two Years for direct recruits.	(i) Seventy-five per cent. by direct recruitment through Staff Selection Commission; and	**Promotion:** From Lower Division Clerks, level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200) and Head Havaldar, level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200) who have rendered eight years of regular service in the grade failing which, -

		(ii) Twenty-five per cent. by promotion.	(a) eleven years of combined service in grade of Lower Division Clerk and Multi-Tasking Staff, or (b) eleven years of combined service in the grade of Head Havaldar, Havaldar and Multi-Tasking Staff, or (c) eleven years of combined service in the grade of Lower Division Clerk, Havaldar and Multi-Tasking Staff, and possess the following qualification and experience, namely:- Data Entry Speed of 8000 key depression per hour for data entry work and passed in Departmental Qualifying Examination to be held after a three-weeks training. **Note:** Where juniors who have completed this qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If Departmental Promotion Committee exist, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to beconsulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
1. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for consideringpromotion) consisting of: - (i) the senior most Additional Director at Headquarters Office – Chairman; (ii) the Additional Director or Joint Director, Headquarters– Member; (iii) the Deputy Director or Assistant Director of Income-tax – Member. 2. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - (i) the senior most Additional Director at Headquarters Office – Chairman; (ii) the Additional Director or Joint Director, Headquarters– Member; (iii) the Deputy Director or Assistant Director of Income-tax – Member.	Not applicable.

[F.No.A-12018/02/2019-Ad.III B]

RAJAN KUMAR JHA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.07.19 15:47:22 +05'30'